

**प्रेस नोट:-**

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 04.10.2019**

### **शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही:-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-10 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 04.10.2019 को जनपद के थानों से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 30 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

#### **01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. किसुन निषाद पुत्र ननकन निषाद नि0 माझा राठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 378/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### **02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. श्रीमती रानू देवी पत्नी स्व0 राज बाबू नि0 छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-252/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### **आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-**

गोण्डा। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थाना को0 देहात व मोतीगंज पुलिस ने नाजायज चाकूओं के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

#### **थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

थाना को0 देहात पुलिस ने अभियुक्त राम बहादुर पुत्र जगरनाथ बरुवार नि0 छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0-253/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

#### **थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

थाना मोतीगंज पुलिस ने अभियुक्त प्रहलाद पुत्र मनीराम नि0 जमुनिया बॉंग थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0-336/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

#### **लड़की का अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने लड़की का अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त पंकज पुत्र विंधेश्वरी नि0 शेरामार मौजा पूरे बहोरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-142/19, धारा 363.366 भादवि के तहत किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 30.09.2019 को थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कौड़िया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने प्रभारी निरीक्षक कौड़िया को त्वरित कार्यवाही करने व अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने आज दिनांक 05.10.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को बिरवा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

#### **थाना को0 नगर पुलिस ने जुआ खेलते 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-**

##### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. प्रमोद कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम चन्द्र विश्वकर्मा पन्त नगर फोर्विसगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. गुलजार अहमद पुत्र सत्तार अहमद नि0 पन्त नगर फोर्विसगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. अरमान अली पुत्र मकबूल अहमद नि0 अम्बेडकर चौराहा पोस्ट आफिस के पीछे थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

## पंजीकृत अभियोग—

01.मु0अ0सं0— 759/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

## बरामगदी—

01. 52 तास के पत्ते।
02. 420 रूपया नगद।

## संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 04.10.2019 को शाम के समय मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति काशी राम कालोनी में जुआँ खेल रहे हैं, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर उ0नि0 मुकेश पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 420 रूपये बरामद कर थाना को0 नगर पर 13 जुआ एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया है।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 मुकेश पाण्डेय।
02. का0 विरेन्द्र कुमार।
03. का0 अजय कुमार।

## लोकसेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में 06 अभियुक्ता गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्तागण—

01. अंजली पत्नी सुखदेव नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. सुन्दरी पत्नी पवन नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. सुषमा पत्नी सुभाष नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मिथिलेश पत्नी ननके नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. सोना पत्नी रामतेज नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
06. यशराजी पत्नी सीताराम नि0 बेशीया चैन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

## पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—337/19, धारा 147.323.332.504.506.353 भादवि थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

## संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 04.10.2019 को थाना को0 देहात की पीआरवी न0—0854 को डायल—100 पर कालर रवि कुमार द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी बहन को बेशीया चैन भट्टा नि0 दिनेश पुत्र संतराम ने अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर उक्त पीआरवी ग्राम बेशीया चैन पहुँचकर लड़की के सम्बन्ध में पन्नालाल से पूछताछ कर रहे थे कि अचानक कुछ उक्त महिलाओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पीआरवी कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। जिसमें आज दिनांक 05.10.2019 को थाना को0 देहात पुलिस ने उक्त आरोपी अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रवि कुमार वर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद वर्मा नि0 बक्शीपुरवा मौजा भितौरा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

## पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—411/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

## बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

## संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों, अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 05.10.2019 को उ0नि0 अनिल कुमार मिश्र मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रविकुमार वर्मा को उतरौला रोड जहाँगीर मोटरसाईकिल की दुकान के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा।
02. हेड का0 गिरजेश गिरि।

## थाना इटियाथोक पुलिस के हथे चढ़ा जिला बदर अभियुक्त

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामबहोरे पुत्र भोदू निवासी कल्लुवा गौसिनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0— 293/19 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।

### संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों/जिलाबदर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा के द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। जिस क्रम में इटियाथोक पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त रामबहोरे पुत्र भोदू निवासी कल्लुवा गौसिनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोंडा को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को जिलाबदर घोषित किया गया था। जोकि आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर पर रह रहा था। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0— 66/19, धारा 457.380 भादवि में वांछित भी चल रहा था। जिसको इटियाथोक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 संजीव कुमार चौहान।
02. उ0नि0 अयोध्या प्रसाद मिश्रा।
03. का0 लक्ष्मण गुप्ता।